

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: नर्सिंग/नर्स-2/स्थाईकरण/न-660/2018/47

दिनांक: 16-01-19

—: आदेश :—

निदेशालय के आदेश क्रमांक नर्सिंग/नर्स-2(सीधी भर्ती-2013)/2016/60 दिनांक 10.02.2016 एवं आदेश क्रमांक नर्सिंग/नर्स-2(सीधी भर्ती-2013)/2016/188 दिनांक 28.04.2018 के द्वारा निम्न का नर्स द्वितीय के पद पर चयन कर दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर नियुक्तिया प्रदान की गई थी। इन अभ्यर्थियों द्वारा दो वर्ष का परिवीक्षाकाल संतोषजनक पूर्ण करने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 31 के तहत इनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 05 में उल्लेखित दिनांक से नियमित करते हुये इन्हे परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर इनके नामों के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 07 में दर्शायी गई तिथी से राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15 (1) एफजी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में नर्स द्वितीय के पद की पै मेट्रिक्स लेवल एल-11 में न्यूनतम वेतन 37800/- एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

क्र. स.	नाम कर्मचारी	पदस्थापन स्थान	जन्मतिथि	कार्यग्रहण तिथि	परिवीक्षाकाल पूर्ण करने की दिनांक	02 वर्ष पश्चात् परिवीक्षापूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि
1.	सुमन देवी	जैसलमेर	07.12.87	06.05.2016	05.05.2018	06.05.2018
2.	रजनी चौहान	जैसलमेर	10.02.84	12.02.2016	11.02.2018	12.02.2018
3.	राजेन्द्र कुमार	जैसलमेर	25.04.85	18.02.2016	17.02.2018	18.02.2018
4.	संगीता चौधरी	जैसलमेर	15.01.78	05.04.2016 (काल्पनिक) 22.05.2018 (वास्तविक)	04.04.2018	05.04.2018

नोट:- क्रम संख्या 4 पर अंकित संगीता चौधरी को माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.12.2016 के परिपेक्ष्य में दिनांक 10.02.2016 को जारी चयन सूची में अभ्यर्थिया की अंतिम कार्यग्रहण तिथि दिनांक 05.04.2016 से काल्पनिक कार्यग्रहण तिथि मानते हुये वर्तमान में पद पर वास्तविक कार्यग्रहण तिथि दिनांक 22.05.2018 से सम्पूर्ण लाभ देय होंगे।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।

दिनांक: 16-01-19

क्रमांक: नर्सिंग/नर्स-2/स्थाईकरण/न-660/2018/47

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जोधपुर।
2. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जैसलमेर को उनके पत्रांक 6290-91 दिनांक 30.10.2018 के क्रम में।
3. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
4. आदेश पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।